



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 628]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 11, 2018/भाद्र 20, 1940

No. 628]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 11, 2018/BHADRA 20, 1940

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 सितम्बर, 2018

सं. 60 /2018-सीमा शुल्क

**सा.का.नि. 860(अ).**—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उप-धारा (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि लोक हित में ऐसा किया जाना आवश्यक है, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 158 / 95-सीमाशुल्क, दिनांक 14 नवम्बर, 1995, जिसे सा.का.नि. 744(अ), दिनांक 14 नवम्बर, 1995 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और भी संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में,

क. तालिका में,

- क्रम संख्या 1 के समक्ष, कॉलम (2) में, "रीकन्डीशनिंग" शब्द के पश्चात्, ", अनुबंध में निर्दिष्ट माल के अलावा" शब्दों को समावेशित किया जाएगा।
- क्र.सं. 2 के पश्चात् और इससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)
"3	अनुबंध में निर्दिष्ट माल, भारत में निर्मित और मरम्मत या पुनर्निर्माण के लिए भारत में	<ol style="list-style-type: none"> <li>इस तरह का पुनः आयात की तारीख से 7 साल के भीतर होता है; बशर्ते कि ऐसा पुनः आयात नेपाल और भूटान के मामले में निर्यात की तारीख से 10 साल के भीतर किया जाता है।</li> <li>पुनः आयात की तारीख के एक वर्ष के भीतर माल फिर से निर्यात किया जाता है;</li> </ol>

फिर से आयात किया गया		<p>3. सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क या उपायुक्त, सीमा शुल्क माल की पहचान के संबंध में संतुष्ट हैं;</p> <p>4. आयात के समय आयातक निम्नलिखित को एक वचन-बंधपत्र निष्पादित करते हैं-</p> <p>(क) निर्धारित अवधि के भीतर मरम्मत या पुनर्निर्माण के बाद सामान निर्यात;</p> <p>(ख) आयात के समय लेकिन यहां निहित छूट के लिए ऐसे माल पर उद्धृत शुल्क और पुनः-आयात के समय उद्धृत शुल्क के बीच अंतर के बराबर राशि, उपर्युक्त शर्तों में से किसी एक का अनुपालन किए जाने में उनकी विफलता की स्थिति में, मांग पर, भुगतान।"</p>
----------------------	--	---

ख. तालिका के पश्चात्, निम्नलिखित अनुबंध को समावेशित किया जाएगा, अर्थात् : -

**अनुबंध**

क्रम. सं.	शीर्ष या उपशीर्ष या टैरिफ मद	माल का विवरण
1.	8443 31 00	मशीनें जो स्वचालित डेटा प्रोसेसिंग मशीन या नेटवर्क से कनेक्ट करने में सक्षम मुद्रण, प्रतिलिपि बनाने या प्रतिकृति ट्रांसमिशन के दो या अधिक कार्यों को निष्पादित करती हैं,
2.	8471 30, 8471 41, 8471 49 00, 8471 50 00	स्वचालित डेटा प्रसंस्करण मशीनें और इसकी इकाइयां; कोडेड रूप में डेटा मीडिया पर डेटा लिप्यंतर किए जाने हेतु चुंबकीय या ऑप्टिकल रीडर्स, मशीनें और ऐसे डेटा, कहीं और निर्दिष्ट या शामिल नहीं हैं, को संसाधित करने के लिए मशीनें
3.	8472 90 30	स्वचालित बैंक नोट डिस्पेंसर
4.	8504 40	स्टेटिक कन्वर्टर्स
5.	8517	सेलुलर नेटवर्क या अन्य वायरलेस नेटवर्क के लिए टेलीफोन सहित टेलीफोन सेट; 8443, 8525, 8527 या 8528 शीर्षक के ट्रांसमिशन या रिसेप्शन उपकरण के अलावा वायर्ड या वायरलेस नेटवर्क (जैसे स्थानीय या विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क) में संचार के लिए उपकरण सहित आवाज, छवियों या अन्य डेटा के संचरण या प्राप्ति के लिए अन्य उपकरण
6.	8518 40 00	ऑडियो आवृत्ति विद्युत एम्पलीफायर
7.	8518 50 00	इलेक्ट्रिक ध्वनि एम्पलीफायर सेट
8.	8525	रेडियो प्रसारण या टेलीविजन के लिए चाहे ट्रांसमिशन उपकरण, रिसेप्शन उपकरण या ध्वनि रिकॉर्डिंग या पुनरुत्पादन उपकरण शामिल हो या नहीं; टेलीविजन कैमरे, डिजिटल कैमरा और वीडियो कैमरा रिकॉर्डर
9.	8526	रडार उपकरण, रेडियो नेविगेशन सहायता उपकरण और रेडियो रिमोट कंट्रोल उपकरण
10.	8528 62 00	प्रोजेक्टर्स: 8471 शीर्षक की स्वचालित डेटा प्रोसेसिंग मशीन के साथ सीधे कनेक्ट करने और उपयोग के लिए डिज़ाइन किए जाने योग्य
11.	8528 71 00	टेलीविजन के लिए रिसेप्शन उपकरण, चाहे रेडियो प्रसारण रिसेवर या ध्वनि या वीडियो रिकॉर्डिंग या पुनरुत्पादन उपकरण शामिल हों या नहीं; वीडियो डिस्प्ले या स्क्रीन को शामिल किए जाने हेतु डिज़ाइन नहीं किया गया है
12.	8528 72	रंगीन टीवी
13.	8531 20 00	लिक्विड क्रिस्टल डिवाइस (एलसीडी) या लाइट एमिटिंग डायोड्स (एलईडी) को शामिल किए जाने वाले संकेतक पैनल
14.	9018 11 00	विद्युत कार्डियोग्राफ्स
15.	9018 12	अल्ट्रासोनिक स्कैनिंग उपकरण

16.	9018 13	चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग उपकरण
17.	9018 19 10	इलेक्ट्रो मस्तिष्कचित्रण
18.	9018 19 20	एको कार्डियोग्राफ
19.	9021 40	हियरिंग एड्स
20.	9022	एक्स-रे या अल्फा, बीटा या गामा विकिरण के उपयोग के आधार पर उपकरण, रेडियोग्राफी या रेडियोथेरेपी उपकरण, एक्स-रे ट्यूब और अन्य एक्स-रे जनरेटर, उच्च तनाव जनरेटर, नियंत्रण पैनल और डेस्क, स्क्रीन, परीक्षा या उपचार सारणी, कुर्सियों और इसी प्रकार के सहित जैसेचाहे चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, दंत या पशु चिकित्सा के उपयोग के लिए हो या नहीं
21.	9027	भौतिक या रासायनिक विश्लेषण के लिए उपकरण और उपकरण (उदाहरण के लिए, ध्रुवीकरण, रिफ्रेक्ट्रोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर, गैस या धुआं विश्लेषण उपकरण); चिपचिपाहट, पोरसिटी, विस्तार, सतह तनाव या पसंद की माप या जांच के लिए उपकरण और उपस्कर; गर्मी, ध्वनि या प्रकाश (एक्सपोजर मीटर सहित) की मात्रा को मापने या जांचने के लिए उपकरण और उपस्कर; माइक्रोटोम्स
22.	9028 30	गैस, तरल या बिजली आपूर्ति या उत्पादन मीटर, जिसमें कैलिब्रेटिंग मीटर शामिल हैं - बिजली मीटर
23.	9030	9028 शीर्षक के मीटर को छोड़कर, बिजली की मात्रा को मापने या जांचने के लिए ऑसीसिलोस्कोप, स्पेक्ट्रम विश्लेषक और अन्य यंत्र और उपकरण; अल्फा, बीटा, गामा, एक्स-रे, लौकिक या अन्य आयनकारी विकिरण को मापने या पहचानने के लिए यंत्र और उपकरण
24.	9032	स्वचालित विनियमन या नियंत्रण यंत्र और उपकरण

[फा.सं. 356/13/2014-टीआरयू (पार्ट)]

गुंजन कुमार वर्मा, अवर सचिव

**नोट:** - प्रधान अधिसूचना सं. 158/95-सीमा शुल्क, दिनांक 14 नवम्बर, 1995 को सा.का.नि. संख्या 744 (अ), दिनांक 14 नवम्बर, 1995 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड-3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित की गई और सा.का.नि. संख्या 778(अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत अधिसूचना संख्या 43/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017 द्वारा इसमें अंतिम संशोधन किया गया था।

**MINISTRY OF FINANCE****(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 11th September, 2018

**No. 60/2018 – Customs**

**G.S.R. 860(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and sub-section (12) of section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 158 / 95-Customs, dated the 14<sup>th</sup> November, 1995, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 744(E), dated the 14<sup>th</sup> November, 1995, namely :-

In the said notification,

A. In the Table,

- (i) against serial number 1, in column (2), after the word "reconditioning", the words "other than the goods specified in Annexure " shall be inserted;

(ii) after serial number 2 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be added, namely:-

(1)	(2)	(3)
“3	Goods as specified in Annexure, manufactured in India and re-imported into India for repairs or for reconditioning	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Such re-importation takes place within 7 years from the date of exportation; Provided that such re-importation takes place within 10 years from the date of exportation in case of Nepal and Bhutan.</li> <li>2. Goods are re-exported within one year of the date of re-importation;</li> <li>3. The Assistant/Deputy Commissioner of Customs is satisfied as regards identity of the goods;</li> <li>4. The importers at the time of importation executes a bond undertaking to –               <ol style="list-style-type: none"> <li>(a) export the goods after repairs or reconditioning within the period as stipulated;</li> <li>(b) pay, on demand, in the event of his failure to comply with any of the aforesaid conditions, an amount equal to the difference between the duty levied at the time of re-import and the duty leviable on such goods at the time of importation but for the exemption contained herein”.</li> </ol> </li> </ol>

B. after the Table, the following Annexure shall be added, namely:-

**Annexure**

S.No.	Heading or sub-heading or tariff item	Description of Goods
1.	8443 31 00	Machines which perform two or more of the functions of printing, copying or facsimile transmission, capable of connecting to an automatic data processing machine or to a network
2.	8471 30, 8471 41, 8471 49 00, 8471 50 00	Automatic data processing machines and units thereof; magnetic or optical readers, machines for transcribing data on to data media in coded form and machines for processing such data, not elsewhere specified or included
3.	8472 90 30	Automatic bank note dispensers
4.	8504 40	Static converters
5.	8517	Telephone sets including telephones for cellular networks or for other wireless networks; other apparatus for the transmission or reception of voice, images or other data, including apparatus for communication in a wired or wireless network (such as a local or wide area networks), other than transmission or reception apparatus of heading 8443, 8525, 8527 or 8528
6.	8518 40 00	Audio-frequency electric amplifiers
7.	8518 50 00	Electric sound amplifier sets
8.	8525	Transmission apparatus for radio-broadcasting or television, whether or not incorporating reception apparatus or sound recording or reproducing apparatus; television cameras, digital cameras and video camera recorders
9.	8526	Radar apparatus, radio navigational aid apparatus and radio remote control apparatus
10.	8528 62 00	Projectors: Capable of directly connecting to and designed for use with an automatic data processing machine of heading 8471
11.	8528 71 00	Reception apparatus for television, whether or not incorporating radio-broadcast receivers or sound or video recording or reproducing apparatus: Not designed to incorporate a video display or screen
12.	8528 72	colour TVs
13.	8531 20 00	Indicator panels incorporating liquid crystal devices (LCD) or light emitting diodes (LED)
14.	9018 11 00	Electro-cardiographs
15.	9018 12	Ultrasonic scanning apparatus
16.	9018 13	Magnetic resonance imaging apparatus
17.	9018 19 10	Electro encephalographs
18.	9018 19 20	Echo cardiograph
19.	9021 40	Hearing aids
20.	9022	Apparatus based on the use of X-rays or of alpha, beta or gamma radiations, whether or not for medical, surgical, dental or veterinary uses, including

		radiography or radiotherapy apparatus, X-ray tubes and other X-ray generators, high tension generators, control panels and desks, screens, examination or treatment tables, chairs and the like
21.	9027	Instruments and apparatus for physical or chemical analysis (for example, polarimeter, refractometers, spectrometers, gas or smoke analysis apparatus); instruments and apparatus for measuring or checking viscosity, porosity, expansion, surface tension or the like; instruments and apparatus for measuring or checking quantities of heat, sound or light (including exposure meters); microtomes
22.	9028 30	Gas, liquid or electricity supply or production meters, including calibrating meters therefor - Electricity meters
23.	9030	Oscilloscopes, spectrum analysers and other instruments and apparatus for measuring or checking electrical quantities, excluding meters of heading 9028; instruments and apparatus for measuring or detecting alpha, beta, gamma, x-ray, cosmic or other ionizing radiations
24.	9032	Automatic regulating or controlling instruments and apparatus

[F.No. 356/13/2014-TRU (Pt)]

GUNJAN KUMAR VERMA, Under Secy.

**Note:** The principal notification No. 158/95-Customs, dated the 14th November, 1995 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section-3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R.744(E), dated the 14th November, 1995 and last amended by notification No. 43/2017-Customs, dated the 30th June, 2017, *vide* number G.S.R. 778 (E), dated the 30th June, 2017.